

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 95/2014/सवाईमाधोपुर

मैसर्स गिरराज ब्रदर्स, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर।

.....प्रार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, करौली।

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :10.08.2015

निर्णय

उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 972/2012/सवाईमाधोपुर, में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिनमें प्रार्थी ने कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2013 को परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-करौली (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 07.04.2011 को प्रार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण मालिक श्री गिरराज प्रसाद की उपस्थिति में किया गया। अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर पायी गयी बीड़ी का भौतिक सत्यापन करने पर गोदाम नं0-1 में 92 कौर्टन माचिस ब्राण्ड बीड़ी व गोदाम नं-2 में 100 कौर्टन माचिस ब्राण्ड बीड़ी कुल 192 कौर्टन बीड़ी के पाये गये। अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा इस प्रकार जांच कर यह पाया कि प्रार्थी द्वारा व्यवसाय स्थल पर कुल कौर्टन 169 होना प्रदर्शित लेखा पुस्तकों में घोषित किया गया है। अप्रार्थी सशक्त अधिकारी ने जांच कर यह भी पाया कि प्रार्थी द्वारा निर्धारण वर्ष 2011-12 में 230 कौर्टन बीड़ी क्रय करना घोषित कर, निर्धारण वर्ष 2010-11 की रहतिया स्टॉक 4 कौर्टन बीड़ी होना घोषित किया गया है। इस प्रकार वक्त जांच भौतिक सत्यापन पर अधिक/अघोषित पाये गये 23 कौर्टन रहतिया स्टॉक मं 4 कौर्टन बीड़ी को शामिल कर, 19 कौर्टन बिना जमा खर्च अधिक पाये गये जाने के कारण स्पष्टीकरण हेतु प्रार्थी को अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे अप्रार्थी

लगातार.....2

सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 66,933/—आरोपित कर आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये अप्रार्थी सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 20.12.2013 के जरिये अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। कर बोर्ड के उपर्युक्त वर्णित निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित निर्णय को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर पुनः मूल अपील के समय की बहस को दोहराते हुये पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर गुणावगुण पर कथन किया कि अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा समग्र रूप में पाये गये माल का मूल्यांकन कर, अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति आरोपित की गयी है जबकि वक्त जांच व सर्वेक्षण दो अलग-अलग ब्राण्ड के कॉर्टन (बीडी) के पाये गये थे। विशिष्ट रूप से कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(25)एफडी/टैक्स/11-133 दिनांक 09.03.2011 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि यदि तम्बाकू व्यवहारी द्वारा पूर्ण कर दर से क्रय किया जाता है तो उस पर करारोपण विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि दिनांक 01.04.2011 को कुल 69 कॉर्टन बीडी (मालती छाप-4, माचिस छाप-65) थे, दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 07.04.2011 को 65 कॉर्टन का विक्रय कर दिया गया व 230 कॉर्टन जरिये इन्वॉयस क्रमांक 2 दिनांक 04.04.2011 के जरिये मैसर्स खत्री प्रेमराज से क्रय किये गये। कथन किया कि दिनांक 07.04.2011 को 42 कॉर्टन हॉकर्स को विक्रय करने के उद्देश्य ये दिये गये इस प्रकार वक्त सर्वेक्षण 188 कॉर्टन माचिस ब्राण्ड व 4 कॉर्टन मालती ब्राण्ड के पाये गये। इस प्रकार किसी प्रकार का माल अघोषित नहीं था केवल अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा समस्त पाये गये माल का भौतिक सत्यापन गलत तरीके से लेने गणना संबंधी भूल हुयी है एवम् अधिनियम की धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति अविधिक रूप से आरोपित की गयी है। कथन किया वक्त सुनवायी अपीलीय अधिकारी व अधोहस्ताक्षरी की पीठ के समक्ष भी उक्त तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करवाया गया था परन्तु कर बोर्ड की पीठ द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप प्रकरण को अप्रार्थी सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये आदेश की पुष्टि की गयी है, जो विधिसम्मत

लगातार.....3



एवम् उचित नहीं है। उक्त तर्कों के आधार पर निम्न न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित कर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

(1). मै0 डायमण्ड मार्केटिंग एजेन्सी, जयपुर बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, वृत्-द्वितीय, जयपुर 19 टैक्स अपडेट पेज 256 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर)।

(2) मैसर्स वर्धमान मार्बल इण्डस्ट्रीज, किशनगढ़ बनाम् स.वा.क.अ. घट-तृतीय, वृत् किशनगढ़ अपील संख्या 791 व 792/2007/ दिनांक 07.07.2010 (आर.टी.बी)

अप्रार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत "परिशोधन" आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में "गुणावगुण" पर निर्णय दिनांक 20.12.2013 को पारित किया गया है जो संचेतन मस्तिष्क से पारित किया गया है तथा उक्त परिशोधन की परिधि में नहीं है न ही उक्त पुनर्विलोकन योग्य है। अतः इस संबंध में परिशोधन करना विधिसम्मत नहीं है जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 को अवधारित कर, प्रस्तुत "परिशोधन" आवेदन पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की गयी ।

उभय पक्षीय बहस व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

एकलपीठ ने निम्न आदेश दिनांक 20.12.2013 को पारित किया था :-

"इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर पाये गये माल का भौतिक सत्यापन कर मौजूद स्टॉक दो गवाहों के समक्ष उनकी उपस्थिति में लिया गया है। भौतिक सत्यापन की सूची पर दोनों गवाहों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जो निर्धारण पत्रावली के पृष्ठ 28 पर उपलब्ध है। अतः नियम 51 की पालना किया जाना प्रकट है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। जहां तक मौके पर बिना जमा खर्च के अघोषित माल के प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा गलत गणना करने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश में विस्तृत विश्लेषण कर, विधिक रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।"


अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी के आदेश को बिना तथ्यात्मक स्थिति के अवलोकन के ही निर्णीत किया गया है। जबकि वक्त बहस स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके यहां कोई माल भौतिक सत्यापन पर कम नहीं पाया गया था तथापि अपीलीय अधिकारी ने अपने अपील आदेश दिनांक 31.12.2011 द्वारा निर्णय पारित किया गया था जिसका सारांश निम्न प्रकार से था :-

“अतः व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि व्यवसायी का स्टॉक 42 बड़े कार्टून कम मानते हुए नियमानुसार कर व शास्ति आरोपण करें।”

व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उनके यहां पर कथित कुछ पाये गये बड़े कार्टून मैचेज, ब्रांड बीडी के थे जो मैसर्स खत्री पन्नालाल प्रेमराज सवाई माधोपुर टिन नम्बर 08392351133 से वैट इन्चायस संख्या 95 दिनांक 14.03.2011 व इन्चायस संख्या 114 दिनांक 25.03.2011 के द्वारा 40 प्रतिशत कर चुका कर कय की गई थी। चूंकि तम्बाकू उत्पादों पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 11-133 दिनांक 09.03.2011 से 40 प्रतिशत कर देयता कर दी थी एवं अधिसूचना दिनांक 11-144 दिनांक 09.03.2011 द्वारा तम्बाकू एवं इसके उत्पादों को प्रथम बिन्दु पर कर देय वस्तुएं बना दी गई थी। अतः प्रथम बिन्दु पर कर देय होने से दिनांक 09.03.2011 के पश्चात उसकी बिक्री पर पुनः कर देयता नहीं रहती है। अतः उपायुक्त अपील के प्रतिप्रेषण आदेश इस हद तक सही नहीं है कि उन पर पुनः कर व शास्ति आरोपण की कार्यवाही की जावे। यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी आदेश में रिकार्ड से स्पष्ट भूल होने पर संशोधन किया जा सकता है परन्तु आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह पीठ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के कथन से सहमत है परन्तु तथ्यात्मक स्थिति के मध्यनजर उक्त प्रकरण में अपीलीय आदेश में कम पाये गये 42 कार्टून पर नियमानुसार कर व शास्ति आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसकी इस पीठ ने भी पुष्टि की थी, परन्तु अगर व्यवहारी प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकार से स्टॉक में कम पाये गये 42 कार्टून तम्बाकू उत्पाद के तथ्य को यदि कर चुका सत्यापित कर दिया जाता है तो पुनः करारोपण व शास्ति आरोपित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, उक्त तथ्य तथ्यात्मक स्थिति इंगित करता है जो सही पाये जाने पर संशोधनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने कम पाये गये स्टॉक के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत कर चुका कर, कर चुके बिल प्रस्तुत किये हैं अतः उनका सत्यापन कर तदनुरूप ही करारोपण की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

फलस्वरूप आदेश दिनांक 20.12.2013 में इस हद तक संशोधन किया जाता है। विविध प्रार्थना पत्र का निष्पादन उपरोक्त विवेचनानुसार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


10-8-2015
(मदन लाल)
सदस्य